निरीक्षण आख्या, **कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ संम्भाग, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ संम्भाग, हल्द्वानी के अवधि माह सितम्बर-11 से माह अगस्त-2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संदीप गर्ग सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एफ.आर. खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री प्रेमचंद्र वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 05/09/2016 से 19/09/2016 तक सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री जी.एस. नेगी, स.ले.प.अ. एवं श्री सतीश पाल, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 28/11/11 से दिनांक 14/12/11 तक श्री शोहराब हुसैन, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गई थी। जिसमें माह 04/2010 से 09/2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।

वर्तमान में माह सितम्बर-11 से अगस्त–16 तक के लेखापरीक्षा अभिलेखों की जांच की गई।

1. **विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का पदभार संभाले रखा-**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार	स.व.वित्त अधिकारी	2011-12 से 22-11-15
2.	श्रीमती आभा गरवील	स.व.वित्त अधिकारी	22-11-15 से 02-06-16
3.	श्री प्रकाश लाल शैल	स.व.वित्त अधिकारी	02-06-2016 से वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थितिः-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)
2011-12	-	01	01 से 07

(स) सतत् अनियमिततायेः- शून्य

(द) अप्रस्तुत अभिलेखों (कारण सहित)- शून्य

(छ) बजटः-

(धनराशि ` लाख में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2013-14	128521	126822	2.435	2.435
2014-15	148026	136617	-	-
2015-16	162437	160006	125	85

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- ` 71.66 लाख का अनियमित भुगतान।

कार्यालय संभागीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी के लेखापरीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पत्रांक 1503/खरीफ-खरीद/2015-16 दिनांक 20 फरवरी 2016 द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून ने सम्भागीय खाद्य कुमायूँ,सम्भाग, हल्द्वानी को प्रेषित पत्र में यह उल्लेख किया था सम्भागीय खाद्य नियंत्रक हल्द्वानी के छः फर्मो उत्तरांचल ट्रेडर्स, शमा इण्टरप्राइजेज, मा. भगवती राइस मिल, गोल्डेन एग्रो सीड्स,

शिवम ट्रेडर्स एवं गंगा इण्डस्ट्रीज द्वारा कोटद्वार केन्द्र के भण्डारण गोदाम में जगह न होने के बावजूद चावल कोटद्वार केन्द्र पर भेज दिये थे, केन्द्र के मना करने पर उपरोक्त फर्मों ने अपने माल नीजी गोदाम में उतार दिया। इस संबंध में उपरोक्त पत्र में केन्द्र प्रभारी कोटद्वार द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित जांच आख्या पर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 973/30-09/प्रवर्तन/2016 दिनांक 19.02.2016 द्वारा कोटद्वार केन्द्र पर संग्रहण क्षमता से अधिक प्रेषण करने पर केन्द्र के मना करने के उपरांत परिवहन ठेकेदार द्वारा माल निजी गोदाम में उतारे जाने के कारण परिवहन ठेकेदार एवं प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए चावल का निस्तारण करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे। इस संबंध में कार्यालय द्वारा माह मार्च 2016 में सभी जिम्मेदार केन्द्र प्रभारियों एवं परिवहन ठेकेदारों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। परिवहन ठेकेदार/मिलर्स एवं केन्द्र प्रभारियों के जवाब के आधार पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी ने आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र संख्या 123/खरीद अनु./2015-16 दिनांक 25.04.2016 द्वारा यह अवगत कराया कि चावल मिलर्स द्वारा खरीफ-खरीद शासनादेश संख्या 429/15-XIX-2/38 खाद्य/2015 दिनांक 30.09.2015 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन पाया था तथा निकट भविष्य के लिए सचेत करते हुए उन पर 10,000 ` प्रति लाट की दर से जुर्माना किये जाने का प्रस्ताव रखा था। जिसके अनुपालन में आयुक्त कार्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या 712/आ.वि.शा./अधि./2015-16 दिनांक 14 जुलाई 2016 को सभी दोषी परिवहन ठेकेदारों/मिलर्स को प्रति लाट ` 10,000 अर्थदण्ड के साथ काली सूची में डालने के लिए संस्तुति प्रदान की गयी थी। फरवरी 2016 में कार्यालय द्वारा गतिमान कार्यवाही के दौरान दोषी विभिन्न फर्मों को विभिन्न तिथियों को किये गये भुगतान को मिलाकर शमा इण्टरप्राइजेज को कुल ` 32.23 लाख, भगवती राइस मिल को ` 3.60 लाख एवं गोल्डेन एग्रो सीड्स का `21.45 लाख एवं गंगा इण्डस्ट्रीज को कुल ` 14.38 लाख (कुल ` 71.66 लाख) का भुगतान किया गया था।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि लेखा कार्यालय के संज्ञान में प्रकरण आने के तुरंत बाद उपरोक्त चावल मिलों के शेष देयकों का भुगतान रोक दिया गया है तथा मिलर्स से प्रतिलाट अर्थदण्ड वसूले जाने की कार्यवाही गतिमान है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय जांच समिति में लेखा अनुभाग के अधिकारीगण भी सम्मिलित थे, तथा उनके संज्ञान में विभागीय कार्यवाही पूर्व से ही थी। अतः विभागीय जांच के दौरान उपरोक्त चावल मिलों को भुगतान का कोई औचित्य नहीं था।

इस प्रकार विभागीय कार्यवाही हेतु विचारीधीन 06 फर्मों को जांच के दौरान ` 71.66 लाख के अनियमित भुगतान एवं दण्ड की धनराशि वसूल न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(अ)

izLrj- 2- % foRrh; o'kZ 2014&15 o 2015&16 esa feyksa dk Hkqxrku dh xbZ /kujkf''k ls lzksr ij vk;dj dVkSrh ¼Vh-Mh-,l-½ u fd;k tkuk] /kujkf''k ` 66-95 yk[kA

vk;dj vf/kfu;e dh /kkjk 194&lh ds vuqlkj /kujkf"k ` 30]000 vFkok fdlh foRrh; o'kZ esa QeZ dks ` 75000 ls vf/kd Hkqxrku djus ij lzksr ij QeZ ds fcyksa ls 2 izfr"kr dh nj ls vk;dj dVkSrh dh tkuh pkfg,A

lEHkkxh; [kk| fu;a=d] dqek;w¡ laHkkx] gY}kuh ds foRrh; o'kZ 2014&15 o 2015&16 esa dsUnzokj fofHkUu feyksa@QeksZa dks Hkqxrku fd;s /kku dqVkbZ o lq[kkbZ fcyksa dh tkap esa ik;k x;k fd foRrh; o'kZ 2014&15 o 2015&16 esa feyksa@QeksZa dks mDr en esa Hkqxrku dh x;h /kujkf"k;ksa Øe"k% ` 15-33 djksM+ o ` 18-14 djksM+ esa ls Øe"k% /kujkf"k ` 30-67 yk[k

o ` 36-28 yk[k vk;dj dVkSrh ugha dh x;hA fooj.k layXud&*d* esa fn;k x;k gSA

ys[kkijh{kk }kjk bafxr fd;s tkus ij bdkbZ }kjk mRrj fn;k x;k fd Bsdsnkj@miBsdsnkj tks ifjogu dk;Z djrs gSa mudk iSu uEcj vafdr gksus dh fLFkfr esa vk;dj dh /kkjk 194 lh ds Øekad 05 ds vuqlkj lzksr ij vk;dj dVkSrh ugha dh x;h rFkk bl laca/k esa bdkbZ }kjk i=kad&521 fnukad 20-12-2010 dks vk;dj foHkkx dks i= fy[kk x;k Fkk] ijUrq vk;dj foHkkx ls dksbZ mRrj izkIr ugha gqvkA

bdkbZ dk mRrj ekU; ugha Fkk] D;ksafd feyksa@QeksZa dks Hkqxrku /kku dqVkbZ o lq[kkbZ dk fd;k x;k u fd ifjogu dkA blds vfrfjDr vk;dj vf/kfu;e dh /kkjk 194 lh esa Li'V fd;k x;k gS fd ,d foRrh; o'kZ esa /kujkf"k `75000 ls vf/kd ds Hkqxrku ij 02 izfr"kr dh nj ls vk;dj dVkSrh gksuh pkfg,A

vr % /kujkf"k ` 66-95 yk[k dh vk;dj dVkSrh u fd;s tkus dk izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

layXud *d*

foRrh; o'kZ 2014&15 o 2015&16 esa feyksa@QeksZa dks /kku o dqVkbZ o lq[kkbZ ds fy, Hkqxrku dh x;h /kujkf"k

o'kZ 2014&15

¼/kujkf"k ` esa½

dsUnz dk uke	QeZ@feyksa dh la[;k		dqy Hkqxrku /kujkf"k			
	/kku xzsM *A* ds	/kku dkWeu ds fy,	/kku xzsM *A*	/kku dkWeu	dqy jkf"k	vk;dj dh jkf"k

	fy,					
gY}kuh	12	14	3535431	2844074	6379505	127590
dk”khiqj	52	63	22467379	14090705	36558084	731162
flarkjxat	31	31	7226114	5253660	12479774	249595
[kVhek	30	30	4943203	4051184	8994387	179888
tliqj	25	33	3477222	5585950	9063172	181263
jkeuxj	03	10	1227106	1665470	2892576	57852
ukudeŸkk	08	08	1795552	1709708	3505260	70105
Xknjiqj	39	40	10588422	7616420	18204842	364097
ykyiqj	05	05	1753050	1354668	3107718	62154
:nziqj	36	34	13532966	8884207	22417173	448343
cktiqj	27	32	7628163	7453149	15081312	301626
Vudiqj	03	06	280479	948090	1228569	24571
fdPNk	25	26	7782688	5636530	13419218	268684
;ksx	**296**	**332**	**86237775**	**67093815**	**153331590**	**3066630**

o’kZ 2015&16

¼kujkf”k ` esa½

dsUnz dk uke	QeZ@feyksa dh la[;k		dqy Hkqxrku /kujkf”k			
	/kku	/kku	/kku xzsM	/kku	dqy jkf”k	vk;dj dh

	xzsM *A* ds fy,	dkWeu ds fy,	*A*	dkWeu		jkf”k
dk”khiqj	71	74	27392106	16124623	43516729	870335
gY}kuh	18	19	7526931	3811344	11338275	226766
tliqj	27	24	8306374	7089116	15395490	307910
Xknjiqj	51	51	14506324	7852579	22358903	447178
:nziqj	40	41	13031307	9064029	22095336	441907
ykyiqj	11	11	4053872	2282669	6336541	126731
cktiqj	45	46	11252327	8368064	19620391	392408
ukudeŸkk	08	10	2739811	1352116	4092927	81839
Vudiqj	05	06	1674463	1100657	2775120	55502
jkeuxj	06	13	2762385	2617627	5380012	107600
flarkjxat	31	“kwU;	9665073	“kwU;	9665073	193301
fdPNk	30	“kwU;	8884376	“kwU;	8884376	177688
[kVhek	37	“kwU;	9960825	“kwU;	9960825	199217
;ksx	**380**	**295**	**121756174**	**59662824**	**181418998**	**3628382**

प्रस्तर-1- ` 7.55 लाख का संदिग्ध भुगतान।

संभागीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी के लेखापरीक्षा के दौरान वर्ष 2015-16 के बिलों के निरीक्षण के दौरान बिल संख्या 225 दिनांक 26.02.2016 मै.एस.आई.राइस मिल, जसपुर, उधमसिंह नगर को ` 359274 का भुगतान कुल ` 149.4 कुन्टल चावल जसपुर से देहरादून तक के लिए ` 2250 प्रति कुन्टल की दर से किया गया था। चावल का ढुलान दिनांक 17.02.2016 को ट्रक संख्या यू.के.06 सी.ए. 6881 द्वारा किया गया था। भार मापन के समय कुल भार ट्रक सहित 252.2 कुन्टल था तथा ट्रक का वजन कुल 100.2 कुन्टल था। दिनांक 17.02.2016 को ट्रक संख्या यू.के. 06 सी.ए. 6881 द्वारा ही मै. शर्मा इण्टर प्राइजेज, जसपुर से कुल 150 कुन्तल चावल का ढुलान देहरादून तक किया गया था। माप करते समय ट्रक का माल सहित कुल वजन 254.55 कुन्टल मापी गयी थी जिसमें ट्रक का वजन 102.55 कुन्टल था। बिल संख्या 224 दिनांक 26.02.2016 द्वारा शर्मा इण्टरप्राइजेज को कुल ` 3,60,715 का भुगतान किया गया था।

2. वर्ष 2015-16 के बिलों के निरीक्षण के दौरान बिल संख्या 638 दिनांक 26.03.2016 द्वारा मै. एस.एल. इण्टरप्राइजेज द्वारा कुल 2015 कुन्टल धान के लिए ` 1450 प्रति कुन्टल की दर से कुल ` 31,93,831 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त 2015 कुन्टल धान के ढुलान के लिए ट्रांसपोर्टर हरियाणा राइस मिल द्वारा विभिन्न ट्रकों का प्रयोग किया गया था। जिनमें से मुख्यतः दो ट्रक यू.के.06 डी. 3499 एवं एच.आर. 38 के 4387 का प्रयोग किया गया था। विभिन्न तिथियों को खाली ट्रक के माप में निम्नलिखित विषमतायें थी।

ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या	दिनांक 26.03.16 को भार	दिनांक 11.03.16 को भार	दिनांक 04.03.16 को भार	दिनांक 16.03.16 को भार
यू.के.06डी.3499	102.05 कु.	102.05 कु.	96.50 कु.	97.80 कु.
एच.आर.38के.4387	97.80 कु.	89.85 कु.	99.85 कु.	97.20 कु.

यदि ट्रक संख्या यू.के.06 डी.3499 का भार 102.05 एवं ट्रक संख्या एच.आर.38 के.4387 का भार 97.80 के अनुसार गणना किये जायें तो भार में कुल अन्तर 24.45 कुन्टल का था। इस प्रकार धान की कुल कीमत ` 35452 का अधिक भुगतान किया गया था। साथ एक ही दिन दो बार लाये जाने पर ट्रक संख्या यू.के.06सी.ए.6881 में 2.35 कुन्टल का अन्तर भी थी।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि प्रकरण की आख्या विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त कर कार्यालय महालेखाकार को 15 दिन के अन्दर प्रेषित कर दिया जायेगा। परन्तु 20 दिन से ज्यादा कि अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अत तब उत्तर अप्राप्त है। जिससे यह प्रतीत होता है कि इकाई को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गयी आपत्तियाँ स्वीकार है।

अतः कुल धनराशि ` 7.55 के संदिग्ध भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- ` 7659.78 कुन्टल की खाद्य सामग्री की हानि।

कार्यालय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ सम्भांग हल्द्वानी के हानि सम्बन्धित पत्रावली एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक संलग्नक क के अनुसार कुल 7659.78 कुन्टल खाद्य सामग्री लेवी चावल कामन ग्रेड ए भण्डारण के दौरान क्षति/हानि हो गई थी।

उपरोक्त के संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि भण्डारण क्षति विभिन्न कारणों चूहों, दीमक, सूखा एवं अन्य कारणों से स्वभाविक है। भविष्य में उक्त हानि के निस्तारण की प्रक्रिया की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की उदासीनता एवं उचित प्रबन्धन न के कारण चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी क्षति/हानि खाद्य सामग्री का निस्तारण नहीं किया जा सका।

अतः 7659.78 कुन्टल खाद्य सामग्री की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ संम्भाग, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)